

**संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2013**  
**लेखापरीक्षक हेतु प्राथमिकता फॉर्म (Preference Form)**

पद - लेखापरीक्षक

रोल नम्बर -

नाम -

रैंक -

उम्मीदवारों (लेखापरीक्षकों) को निम्नलिखित राज्यवार प्राथमिकता (Preference Form) देने की सलाह दी जाती हैं

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु व पुदुचेरी, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ।

उदाहरण के लिए यदि किसी उम्मीदवार की पहली प्राथमिकता "दिल्ली" हैं, दूसरी प्राथमिकता "हरियाणा" हैं, तीसरी प्राथमिकता "बिहार" हैं एवं 29वी प्राथमिकता सिक्किम है तो निम्नानुसार रूप से प्राथमिकता दिया जाना है:

(1) दिल्ली

(2) हरियाणा

(3) बिहार

• .....

• .....

• .....

• .....

• .....

• ....

29. सिक्किम

टिप्पण:

(1) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुलग्नक -I में उपर्युक्त सभी 29 राज्यों के लिए प्राथमिकता भरें।

(2) यदि अन्तिम तिथि तक उम्मीदवार द्वारा भरा प्राथमिकता फॉर्म प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उसे किसी भी राज्य के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है तथा इस स्थिति में राज्य का आवंटन विभाग के विवेकाधिकार द्वारा किया जाएगा।

(3) यदि उम्मीदवार द्वारा सभी राज्यों के लिए प्राथमिकता अंकित नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसे उस राज्य के लिए, जो प्राथमिकता फॉर्म में अंकित नहीं किया गया है, कोई प्राथमिकता नहीं है तथा इस स्थिति में राज्य का आवंटन तदनुसार किया जाएगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

## अनुलग्नक -I

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में लेखापरीक्षक के पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक हैं  
(हां या नहीं) : \_\_\_\_\_

यदि हां तो, राज्यों के विकल्प प्रस्तुत करे :

विकल्प संख्या	प्राथमिकता के क्रमानुसार राज्य
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम:

रैंक:

रोल नम्बर:

मोबाइल नम्बर:

**PERSONAL INFORMATION OF THE CANDIDATE SELECTED FOR THE POST OF  
AUDITOR/ACCOUNTANT/DIV.ACCOUNTANT THROUGH CGLE 2013**

1. Name of the candidate:
2. Roll Number :
3. Rank Number :
4. Name of the post selected for:
5. Date of Birth :
6. Father's Name :
7. Sex (Male/ Female) :
8. Category (SC/ ST/ OBC/ Gen) :
9. Academic Qualification :

(i) Year of passing & percentage of marks/C.GPA in the concerned examination

10th		12th		Graduation		Post-Graduation	
Year	% or C.GPA	Year	% or C.GPA	Year	% or C.GPA	Year	% or C.GPA

10. Professional Qualification, if any :
11. Marital Status:  
(whether married/ unmarried)
12. Employment Status :  
(whether employed/ unemployed)
13. If employed :  
( indicate whether working under Central/ State Govt. or private sector)
14. Mother Tongue :
15. Knowledge of other languages, if any :
16. Address for correspondence:
  
17. Permanent Address :
18. State of Domicile :
19. Contact No. & E-mail ID :

**Note- If Ex-Servicemen or Physically Handicapped, please also mention against item No. 7. If married, please mention against column 10 whether the spouse is working under the Central/State Govt.**

Dated:

Signature of the Candidate

**संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2013**  
**लेखाकार हेतु प्राथमिकता फॉर्म (Preference Form)**

पद -लेखाकार

रोल नम्बर -

नाम -

रैंक -

उम्मीदवारों (लेखाकारों) को निम्नलिखित राज्यवार प्राथमिकता (Preference Form) देने की सलाह दी जाती हैं

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु व पुदुचेरी, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ।

उदाहरण के लिए यदि किसी उम्मीदवार की पहली प्राथमिकता "दिल्ली" हैं, दूसरी प्राथमिकता "हरियाणा" हैं, तीसरी प्राथमिकता "बिहार" हैं एवं 29वी प्राथमिकता सिक्किम है तो निम्नानुसार रूप से प्राथमिकता दिया जाना है:

(1) दिल्ली

(2) हरियाणा

(3) बिहार

• .....

• .....

• .....

• .....

• .....

• .....

29. सिक्किम

टिप्पण:

(1) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुलग्नक -I में उपर्युक्त सभी 29 राज्यों के लिए प्राथमिकता भरें।

(2) यदि अन्तिम तिथि तक उम्मीदवार द्वारा भरा प्राथमिकता फॉर्म प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उसे किसी भी राज्य के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है तथा इस स्थिति में राज्य का आवंटन विभाग के विवेकाधिकार द्वारा किया जाएगा।

(3) यदि उम्मीदवार द्वारा सभी राज्यों के लिए प्राथमिकता अंकित नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसे उस राज्य के लिए, जो प्राथमिकता फॉर्म में अंकित नहीं किया गया है, कोई प्राथमिकता नहीं है तथा इस स्थिति में राज्य का आवंटन तदनुसार किया जाएगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

## अनुलग्नक -I

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक हैं  
(हां या नहीं) : \_\_\_\_\_

यदि हां तो, राज्यों के विकल्प प्रस्तुत करे :

विकल्प संख्या	प्राथमिकता के क्रमानुसार राज्य
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम:

रैंक:

रोल नम्बर:

मोबाइल नम्बर: